रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3429] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 21, 2019/आश्विन 29, 1941
No. 3429] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 21, 2019/ASVINA 29, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3771(अ).—आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्‌द्वारा अवसंरचना ऋण कोष (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड) को कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा बाद के कर निर्धारण वर्षों के लिए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ आईडीएफसी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (पैन:एएडीसीआई5030क्यू) के नाम से अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी नामत:—

(i) कि अवसंरचना ऋण कोष (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट कोष) इस संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों, आयकर नियमावली, 1962 के नियम-2च तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुरूप होगा और उनका पालन करेगा;

(ii) कि अवसंरचना ऋण कोष (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट कोष) नियत तिथि को अथवा उससे पूर्व आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा 4ग द्वारा यथाअपेक्षित अपनी आय विवरणी दायर करेगा।

[अधिसूचना सं. 83 /2019/फा. सं. 178/16/2016-आईटीए-I]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक